पत्रांक–6/अ4–11/2006 2122

झारखण्ड–सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री कुलवंत सिंह

विशेष सचिव,

मानव संसाधन विकास विभाग,

झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,

सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली।

रांची दिनांक – 9. 10. 2006

विषय : **झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से संबंधन हेतु सशर्त अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित गुरु गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, धनबाद को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अधोलिखित शर्तों एवं कन्डीशनों के अधीन सशर्त अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय आदेश संख्या–1055, दिनांक 05.09.2001 के आलोक में निम्नलिखित शर्तों एवं कन्डीशनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय सम्प्रति किराये के भवन में चल रहा है तथा 30 वर्ष के लिए नोटरी द्वारा लीज पर है। विद्यालय को अपनी भूमि नहीं है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार भवन एवं प्रशिक्षित शिक्षकों संबंधी कर्मियों को एक वर्ष के अन्दर पूरा करना होगा। स्वत्व हस्तानान्तरण अधिनियम में लीज डीड या गिफ्ट डीड निबंधित होना आवश्यक है। तदनुसार लीज डीड जो नोटरी द्वारा किया गया है इसे निबंधित कराना होगा। (विद्यालय प्रबंध का शपथ पत्र सलग्न है।)

2. विद्यालय की वार्षिक बचत आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ–अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायगा।

4. संस्था द्वारा नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा।

Principal
Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad

PRINCIPAL
DAV PUBLIC SCHOOL
DHORI, CCL, CENTRAL COLONY
P.O.-PHUSRO BOKARO (JH)

01/03/19

5. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।

6. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 (दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में ... भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 (तीस) वर्षो के निबंधित .../लीज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पायी जायगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा।

7. गरीबी रेखा से नीचे छात्र/छात्राओं लिए 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा। साथ ही उनसे सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाय।

8. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्रहित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार नैतिक तथा सरकार के सांस्कृतिक विकास हेतु सकारात्मक प्रदान करना होगा।

9. विद्यालय के छात्रों की सम्भावित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक संख्या होने चाहिए।

10. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियो की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय–समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

11. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

12. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन प्रोग्राम तथा एन.सी.सी.,स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारू रुप से करना होगा।

13. यदि जो संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या–1056 दिनांक–5,9,2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा।

14. उपर्युक्त शर्तो एवं बन्धनो का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

15. यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेखो को जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र/राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलती हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

PRINCIPAL
DAV PUBLIC SCHOOL
CCL CENTRAL COLONY
BOKARO (JH)
No. 3430029

16. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तो एवं बन्धेजो का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नही ? इसकी जाँच समय–समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, ... के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था ... अभिलेखों को ... सकेगी और जाँचोपरान्त ... कार्रवाई ... सकेगी।

21/2/...
9/10/...

Principal
Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad

... उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

18. समय–समय पर लोक हित में सरकार द्वारा विद्यालय संबंधन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ–साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

19. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

9/X/06

(कुलवंत सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 2122 / राँची, दिनांक 9.10.06

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग / संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी / प्राचार्य गुरू गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/X/06

(कुलवंत सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 2122 / राँची, दिनांक 9.10.06

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

9/X/06

(कुलवंत सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

Principal
Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad

PRINCIPAL
DAV PUBLIC SCHOOL
DHORI, CCL, CENTRAL COLONY
P.O.-PHUSRO, BOKARO (JH)
CBSE AFFIN. No. 3430029

GURU GOBIND SINGH PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
DHANBAD